इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 207] भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 जुलाई 2024—श्रावण 2, शक 1946

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2024

संशोधित अधिसूचना

क्र. AGR-B-1-0002-2024-Sec-2-चौदह (C. No. 308938) .—भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्र. 13015-02-2015-क्रेडिट-II, दिनांक 26 अप्रैल 2021 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2024-25 में बीमा इकाई 1, बीमा इकाई 2 एवं जिलास्तर पर बीमित की जाने वाली फसलों की अधिसूचना असाधारण राजपत्र क्र. 144, दिनांक 6 जून 2024 में जारी किया गया है. जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन जारी किया जाता है. संलग्न सूची अनुसार बीमा इकाई 1 / बीमा इकाई 2 / जिलों के समक्ष अंकित फसलों हेतु परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भास्कर लाक्षाकार, अपर सचिव.

1. यह योजना भारत सरकार के पत्र क्रमांक 13015/02/2015-क्रेडिटII, दिनांक 26.04.2021 के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के अधिसूचित जिलों/तहसीलों/पटवारी हल्कों में अधिसूचित फसलों के लिये कार्यान्वित की जावेगी।
2. यह योजना सभी कृषकों हेतु स्वैच्छिक की गई है । किसान योजना से बाहर होने का विकल्प, बीमांकन की अंतिम तारीख के 7 दिवस पूर्व चुन सकता है ।
3. खरीफ मौसम में कृषकों का बीमा करने एवं प्रीमियम जमा करने की समय-सीमा 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2024 तक है। अधिसूचित फसल हेतु बीमित राशि राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये निर्धारित अल्पावधि फसल ऋणमान (स्केल ऑफ फायनेंस) के बराबर लागू होगी, जिसे पृथक से अधिसूचित किया गया है।
4. कृषकों हेतु प्रीमियम दर मौसम खरीफ में समस्त अनाज तिलहन एवं दलहन फसलों के लिये बीमित राशि का 2 प्रतिशत एवं कपास फसल के लिए 5 प्रतिशत या वास्तविक दर जो भी कम हो, लागू होगी ।
5. म.प्र.राज्य में सभी बीमित अधिसूचित फसलों के लिये सभी कृषकों हेतु क्षतिपूर्ति स्तर 80 प्रतिशत होगा।
6. राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति के अनुसार योजना के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों की अंतिम तिथियां निम्नानुसार घोषित की जाती है :-

क्र.	गतिविधि	खरीफ
1.	मौसम के लिये किसानों के नामांकन का आरंभ	1 अप्रैल से
2.	ऋणी कृषकों के लिये बीमित फसल में बदलाव की सूचना देने हेतु अंतिम तिथि	कृषकों को प्रीमियम नामे/संग्रह किये जाने की अंतिम तिथि से 2 कार्य दिवस पूर्व
3.	समस्त हितधारकों के लिये(जिसमें बैंक/प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति /कॉमन सर्विस सेंटर/ बीमा अभिकर्ता/कृषक द्वारा ऑन लाईन पंजीयन सहित) कृषक के खाते से प्रीमियम नामे किये जाने संबंधी आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	राज्य द्वारा अधिसूचित फसलों हेतु कृषकों के पंजीयन की अंतिम तिथि 31 जुलाई
4.	प्रतिबंधित बुआई की घोषणा	कृषकों के पंजीयन की अंतिम तिथि से ठीक 15 दिवस के अंदर
5.	संबंधित कंपनियों के लिये चालान जनरेट करने एवं समेकित घोषणा के साथ प्रीमियम के इलेक्ट्रोनिक प्रेषण तथा बैंकों की शाखाओं (व्यावसायिक बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक/ प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति द्वारा आच्छादित कृषकों का व्यक्तिगत विवरण अपलोड करने एवं उसके बाद समस्त बीमित कृषकों को पोर्टल के द्वारा एस.एम.एस. करने की अंतिम तिथि	कृषकों के पंजीयन की अंतिम तिथि के 15 दिवस अंदर अर्थात खरीफ के लिये 16 अगस्त।
6.	विनिर्दिष्ट बीमा अभिकर्ता द्वारा स्वेच्छापूर्वक आच्छादित	आवेदन एवं प्रीमियम प्राप्ति के 48 घंटे के

	कृषकों के प्रीमियम को इलेक्ट्रोनिक प्रेषण द्वारा बीमा कंपनियों को प्रेषित करने तथा आच्छादित कृषकों का व्यक्तिगत विवरण बीमा पोर्टल पर अपलोड किये जाने की अंतिम तिथि	अंदर
7.	संबंधित बैंक शाखाओं के लिये वर्तमान ऋणी कृषकों के द्वारा योजना से बाहर निकलने संबंधी लिखित सहमति प्रदान करने की अंतिम तिथि	योजनांतर्गत पंजीयन की अंतिम तिथि के 7 दिवस पूर्व
8.	बीमा कंपनी के लिये पोर्टल पर उपलब्ध कृषकों के डाटा को मंजूर अथवा नामंजूर करने की अंतिम तिथि	बैंक/प्राथमिक कृषि सहकारी समिति/ कॉमन सर्विस सेंटर/ बीमा अभिकर्ता द्वारा डाटा/जानकारी अपलोड किये जाने की अंतिम तिथि के 15 दिवस के अंदर ऋणी कृषकों हेतु तथा 30 दिवस के अंदर अऋणी कृषकों हेतु
9.	फसल बीमा पोर्टल पर उपलब्ध प्रदत्त आवेदन कामन सर्विस सेंटर/बैंक/बिचौलियों द्वारा सुधार/अपडेट करने के लिये अंतिम तिथि	बीमा कंपनियों द्वारा ज्ञापित किये जाने के 7 दिवस के अंदर
10.	फसल बीमा पोर्टल से दावों की विस्तृत जानकारी बैंक शाखाओं एवं अन्य हितधारकों के बीच साझा करने हेतु अंतिम तिथि	बीमा कंपनी द्वारा दावों के अनुमोदन के 7 दिवस के अंदर
11.	अतिरिक्त बीमित क्षेत्र (यदि कोई हो तो) इसकी सूचना आच्छादित कृषक की वास्तविकता के सत्यापन हेतु राज्य शासन एवं भारत सरकार को देने के लिये अंतिम तिथि	पंजीयन/प्रीमियम के नामे किये जाने की अंतिम तिथि के 90 दिवस के अंदर
12.	बीमा कंपनियों द्वारा आवेदनों का प्रसंस्करण एवं फसल बीमा पोर्टल पर आच्छादित कृषकों के आवेदनों का स्वत: अनुमोदन के लिये अंतिम तिथि	पंजीयन/प्रीमियम के नामे किये जाने की अंतिम तिथि के 60 दिवस के अंदर

7. योजना के अंतर्गत निम्नलिखित फसल अवस्थाओं पर अधिसूचित फसलों हेतु अधिसूचित क्षेत्र में फसल क्षति जोखिम आवरित किये जाते हैं ।

I. बाधित बुआई/रोपण/अंकुरण जोखिम: बीमाकृत क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण बुआई/रोपण/अंकुरण क्रिया न होने एवं होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करेगा ।

II. खड़ी फसल (बुआई से लेकर कटाई तक): गैर बाधित जोखिमों यथा सूखे, लंबी शुष्क कीट व रोग, बाढ़, जलभराव, भू-स्खलनों, प्राकृतिक अग्नि दुर्घटनाओं और नाभिकीय और आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात के कारण फसल को होने वाले नुकसान की सुरक्षा के लिये वृहत जोखिम बीमा दिया जाता है ।

III. फसल कटाई उपरांत होने वाले नुकसान: यह बीमा आच्छादन ऐसी फसलों को काटे जाने से अधिकतम दो सप्ताह के लिये ओलावृष्टि, चक्रवात और चक्रवातीय वर्षा एवं गैर मौसमी वर्षा के मामले में दिया जाता है । फसल कटाई के बाद खेत में सूखने के लिये वृहत जोखिम बीमा दिया जाता है ।

IV. स्थानीय आपदाएं: अधिसूचित क्षेत्र में पृथक कृषि भूमि को प्रभावित करने वाली ओलावृष्टि, भू-स्खलन और जलभराव, बादल फटना, आकाशीय बिजली कड़कने से प्राकृतिक आग के अभिचिन्हित स्थानीयकृत जोखिमों से होने वाले नुकसान/क्षति ।

उपरोक्त फसल अवस्थाओं में फसल क्षति की स्थिति में किसानों द्वारा सूचना, क्षति का सर्वेक्षण, दावा गणना, दावों का भुगतान आदि सभी प्रक्रियायें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की रिवेम्प्ड मार्गदर्शी निर्देशिका, भारत सरकार के दिशानिर्देशों, निविदा की शर्तों एवं राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति तथा म.प्र.शासन के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जावेगा ।

सामान्य अपवर्जन :युद्ध नाभिकीय जोखिमों से होने वाली हानियों, दुर्भावनाजनित क्षतियों और अन्य निवारणीय जोखिमों को इसमें शामिल नहीं किया जायेगा ।

8. मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक बी-8-5/2016/14-1, भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2016 द्वारा जारी आदेशानुसार संबंधित जिले की मूल्यांकन समिति निम्नानुसार होगी तथा योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु अधिसूचित बीमा कंपनी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति के मार्गदर्शन में कार्य करेंगी तथा संबंधित कंपनी के द्वारा योजना के प्रचार-प्रसार का कार्य जिले में किया जायेगा ।

क्रमांक		
1	कलेक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
3	अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर राजस्व	सदस्य/ सचिव
4	उप संचालक कृषि	सदस्य
5	परियोजना संचालक आत्मा	सदस्य
6	उप संचालक सहायक संचालक उदयानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी/	सदस्य
7	जिला योजना अधिकारी	सदस्य
8	उपायुक्त सहकारिता	सदस्य
9	अधीक्षक, भूअभिलेख-	सदस्य
10	महाप्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक	सदस्य
11	जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड	सदस्य
12	कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रतिनिधि	सदस्य
13	जिला लीड बैंक अधिकारी	सदस्य
14	प्रतिनिधि क्रियान्वयन एजेन्सी फसल बीमा के लिये अधिकृत) (एजेन्सी	सदस्य

9. मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक बी-8-4/2019/14-2, भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2016 द्वारा जारी आदेशानुसार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं स्थानीय स्तर पर शिकायतों के निराकरण हेतु DGRC (जिला स्तरीय शिकायत निवारण

संवैधानिक समिति) एवं SGRC (राज्य स्तरीय शिकायत निवारण संवैधानिक समिति) का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

DGRC (जिला स्तरीय शिकायत निवारण संवैधानिक समिति)

क्रमांक		
1	कलेक्टर	अध्यक्ष
2	उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास कृषि जिला	सदस्यसचिव/
3	जिला अधीक्षक, भू अभिलेख एवं बंदोवस्त-	सदस्य
4	जिला अल्प बचत अधिकारी	सदस्य
5	सहायक संचालक उदयानिकी एवं खादय प्रसंस्करण	सदस्य
6	लीड बैंक मैनेजर	सदस्य
7	जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड	सदस्य
8	महा प्रबंधक सेन्ट्रल कोऑपरेटिव-	सदस्य
9	बीमा कंपनी के जिला प्रबंधक	सदस्य
10	बीमा कंपनी के तहसील स्तर के अधिकारी	सदस्य
11	कृषक प्रतिनिधि2- (आत्मा द्वारा प्रशिक्षित) अधिकतम कार्यकाल 2 वर्ष हेतु	सदस्य

SGRC (राज्य स्तरीय शिकायत निवारण संवैधानिक समिति)

क्रमांक		
1	प्रमुख सचिवसचिव/, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग	अध्यक्ष
2	संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास	उपाध्यक्ष
3	संचालक, उदयानिकी एवं खादय प्रसंस्करण	सदस्य
4	अपर संचालक / संयुक्त संचालक (फसल बीमा)	सदस्यसचिव/
5	आयुक्त, भू अभिलेख एवं बंदोवस्त-	सदस्य
6	संस्थागत वित्त के प्रतिनिधि	सदस्य
7	राज्य स्तरीय बैंकर्स समितिप्रतिनिधि/	सदस्य
8	लीड बैंक मैनेजर/ मुख्य बैंक	सदस्य
9	मुख्य महाप्रबंधक नाबार्डप्रबंधक/	सदस्य
10	महाप्रबंधक, अपेक्स बैंकप्रतिनिधि/	सदस्य
11	उप संचालक(फसल बीमा)सहायक संचालक /	सदस्य
12	वैज्ञानिक रिमोट सेसिंग	सदस्य
13	राज्य में कार्यरत समस्त बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि	सदस्य

14	कृषक प्रतिनिधि2- (आत्मा द्वारा प्रशिक्षित) अधिकतम कार्यकाल 2 वर्ष हेतु	सदस्य

DGRC (जिला स्तरीय शिकायत निवारण संवैधानिक समिति) हेतु दिशा निर्देश:-

- समिति अधिकतम 15 दिवस में शिकायतों का निराकरण करेगी एवं इस समिति द्वारा लिये गये निर्णय को सभी संबंधितों द्वारा मान्य किया जावेगा ।
- निर्णय पर असहमति की स्थिति में 15 दिवस के भीतर प्रकरण राज्य स्तरीय शिकायत निवारण संवैधानिक समिति को भेजा जायेगा ।
- शिकायत प्राप्त होने पर 7 दिवस के भीतर यदि शिकायत पर चर्चा नहीं की जाती है या शिकायत में ज्यादा जिले प्रभावित होते हैं या किसी भी सहभागी संस्था द्वारा गाईड लाईन के निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है या शिकायत 25 लाख रू. से अधिक से संबंधित है तो शिकायती प्रकरण सीधे राज्य स्तरीय शिकायत निवारण संवैधानिक समिति को भेजा जावेगा ।

SGRC (राज्य स्तरीय शिकायत निवारण संवैधानिक समिति) हेतु दिशा निर्देश:-

समिति शिकायत प्राप्त होने के अधिकतम 15 दिवस में शिकायंतों का निराकरण करेगी एवं इस समिति द्वारा लिये गये निर्णय को सभी संबंधितों द्वारा मान्य किया जावेगा ।

10. ऋणी कृषकों के लिये प्रीमियम राशि अतिरिक्त ऋण के तौर पर स्वीकृत की जानी चाहिये जो कि बीमित राशि से अतिरिक्त होगी ।
11. मौसम के दौरान कृषक को वास्तविक तौर पर ऋण स्वीकृत किया जाना चाहिये ना कि कृषक द्वारा पूर्व में लिया गया ऋण जो कि चुकता नहीं किया गया हो, उसका बुक समायोजन नहीं किया जायेगा तथा सीजन विशेष हेतु स्वीकृत ऋण अनुसार ही कृषक के खाते से प्रीमियम काटकर बीमांकन किया जायेगा ।
12. बैंक द्वारा बीमांकन के लिये प्रीमियम राशि फसल मौसम के अनुसार ही निर्धारित की गई तिथि के अंदर ही कृषकों से ली जावेगी । खरीफ एवं रबी के लिये प्रीमियम राशि पृथक-पृथक ली जावेगी ।
13. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की रिवेम्प्ड प्रचालन मार्गदर्शी निर्देशिका के बिन्दु क्रमांक 35-Role and Responsibilities of various agencies-Financial institutions/Bank के अनुसार योजना के तहत यदि नोडल बैंक/शाखा/पी.ए.सी.एस. की गल्तियों/विलोपनों /कमीशन के कारण किसान फसल बीमा के लाभ से वंचित रहता है, तो संबंधित वित्तीय संस्थायें ही ऐसी हानियों की भरपाई करेगी ।
14. योजना से संबंधित अन्य दिशा-निर्देशों का पालन एवं क्रियान्वयन रिवेम्प्ड प्रचालन मार्गदर्शिका, वर्ष 2023-24 में जारी निविदा की शर्तों एवं राज्य शासन तथा भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।
15. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु खरीफ वर्ष 2024 एवं रबी वर्ष 2024-25 में क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार जिलों के क्लास्टर बनाए गए है :-

क्लस्टर क्र.	जिले का नाम	बीमा कंपनी का नाम
1	2	3
1	उज्जैन	इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

2	मंदसौर, नीमच, रतलाम	एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड
3	देवास, इंदौर	एस.बी.आई. जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
4	आगर मालवा, शाजापुर	एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड
5	भोपाल, सीहोर	एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड
6	रायसेन, विदिशा	एस.बी.आई. जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
7	अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन,	एच.डी.एफ.सी. एर्गो, जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
8	अशोकनगर, भिंड, दतिया, गुना, मुरैना, ग्वालियर, राजगढ़, श्योपुर, शिवपुरी	एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड
9	अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिहपुर, सिवनी, शहडोल, उमरिया	एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड
10	बैतूल, हरदा, होशंगाबाद	एस.बी.आई. जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
11	छतरपुर, दमोह, निवाड़ी; पन्ना, रीवा, सागर, सतना, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़	एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

16. प्रदेश में खरीफ मौसम में धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, बाजरा, मक्का, अरहर को बीमा इकाई 2 स्तर पर तथा ज्वार, कोदो-कुटकी, मूंगफली, तिल, कपास को बीमा इकाई 1 स्तर पर एवं उड़द एवं मूंग को जिला स्तर पर परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है । म.प्र. राज्य में निम्नानुसार जिलो के समक्ष दर्शाई गई फसलों हेतु परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु बीमा इकाई 2 स्तर पर अधिसूचित की जाने वाली फसलों की सूची

मौसम खरीफ वर्ष 2024						बीमा इकाई 2 स्तर पर 50 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की सूची					
जिला	बीमा इकाई 1	बीमा इकाई 2 का कोड	बीमा इकाई 2	बीमा इकाई 2 में सम्मिलित ग्राम का कोड	बीमा इकाई 2 में सम्मिलित ग्राम का नाम	सोयाबीन	धान असिंचित	धान सिंचित	मक्का	बाजरा	तुअर
Maihar	Ramnagar	5403039	Sagauni Khurd	464555	Sagauni Khurd			Paddy irrigated			
Maihar	Ramnagar	5403039	Sagauni Khurd	464554	Sagauni Kalan			Paddy irrigated			
Maihar	Ramnagar	5403040	Jova	464557	Joba			Paddy irrigated			
Maihar	Ramnagar	5403040	Jova	464483	Pagra			Paddy irrigated			
Maihar	Ramnagar	5403040	Jova	464556	Bhitari			Paddy irrigated			
Maihar	Ramnagar	5403041	Chhirhai	464562	Chhirhai		Paddy unirrigated				
Maihar	Ramnagar	5403042	Jigana	464561	Kothar		Paddy unirrigated	Paddy irrigated			
Maihar	Ramnagar	5403042	Jigana	464563	Jhounpa		Paddy unirrigated	Paddy irrigated			
Maihar	Ramnagar	5403042	Jigana	464559	Hinauta		Paddy unirrigated	Paddy irrigated			
Maihar	Ramnagar	5403042	Jigana	464560	Jigana		Paddy unirrigated	Paddy irrigated			
Maihar	Ramnagar	5403043	Argat	464567	Argat		Paddy unirrigated				
Maihar	Ramnagar	5403043	Argat	464572	Ranikanp		Paddy unirrigated				
Maihar	Ramnagar	5403044	Khodri	464564	Thadhghatiya		Paddy unirrigated				

Maihar	Ramnagar	5403044	Khodri	464566	Khodhri		Paddy unirrigated				
Maihar	Ramnagar	5403044	Khodri	464565	Bijuri		Paddy unirrigated				
Maihar	Ramnagar	5403045	Judamani	464569	Degrha		Paddy unirrigated				
Maihar	Ramnagar	5403045	Judamani	464571	Mataha		Paddy unirrigated				
Maihar	Ramnagar	5403045	Judamani	464568	Biharganj		Paddy unirrigated				
Maihar	Ramnagar	5403045	Judamani	464570	Judmani		Paddy unirrigated				
Maihar	Ramnagar	5403046	Hinoti	464573	Hinauti		Paddy unirrigated				
Maihar	Ramnagar	5403047	Mankishar	464581	Barhatola			Paddy irrigated			
Maihar	Ramnagar	5403047	Mankishar	464576	Suhila			Paddy irrigated			
Maihar	Ramnagar	5403047	Mankishar	464579	Tenduha			Paddy irrigated			
Maihar	Ramnagar	5403047	Mankishar	464578	Manakisar			Paddy irrigated			
Maihar	Ramnagar	5403048	Velahai	464574	Suhili			Paddy irrigated			
Maihar	Ramnagar	5403048	Velahai	464577	Belhai			Paddy irrigated			
Maihar	Ramnagar	5403048	Velahai	464575	Karhiya			Paddy irrigated			
Maihar	Ramnagar	5403049	Bhmarha	464582	Bhamraha			Paddy irrigated			
Maihar	Ramnagar	5403050	Devdha	464583	Devdaha			Paddy irrigated			
Maihar	Ramnagar	5403050	Devdha	464580	Bargahitola			Paddy irrigated			
Jhabua	Petlawad	2102035	Kalighati	504318	Kasya Khali	Soybean					
Jhabua	Petlawad	2102035	Kalighati	504316	Rupapada	Soybean					
Jhabua	Petlawad	2102035	Kalighati	504322	Kundiya	Soybean					
Jhabua	Petlawad	2102035	Kalighati	504317	Vatyapada	Soybean					

Jhabua	Petlawad	2102035	Kalighati	504323	Sand Ka Naka	Soybean					
Jhabua	Petlawad	2102035	Kalighati	504314	Kalighati	Soybean					
Jhabua	Petlawad	2102035	Kalighati	504319	Garbadi	Soybean					
Jhabua	Petlawad	2102038	Hameer Garh	504386	Salarpada	Soybean					
Jhabua	Petlawad	2102038	Hameer Garh	504387	Hamirgarh	Soybean					
Jhabua	Petlawad	2102038	Hameer Garh	504382	Dhanyarundi	Soybean					
Jhabua	Petlawad	2102038	Hameer Garh	504385	Machyaghati	Soybean					
Jhabua	Petlawad	2102039	Mahudipa da Kala	504331	Badlipada	Soybean			Maize		
Jhabua	Petlawad	2102039	Mahudipa da Kala	504339	Kuwarjhar	Soybean			Maize		
Jhabua	Petlawad	2102039	Mahudipa da Kala	504327	Gothanya Kalan	Soybean			Maize		
Jhabua	Petlawad	2102039	Mahudipa da Kala	504333	Champeliya	Soybean			Maize		
Jhabua	Petlawad	2102039	Mahudipa da Kala	504335	Tanda Padew	Soybean			Maize		
Jhabua	Petlawad	2102039	Mahudipa da Kala	504325	Pipalipada	Soybean			Maize		
Jhabua	Petlawad	2102039	Mahudipa da Kala	504326	Mahudipada Kalan	Soybean			Maize		
Jhabua	Petlawad	2102039	Mahudipa da Kala	504328	Gothanya Khurd	Soybean			Maize		
Jhabua	Petlawad	2102039	Mahudipa da Kala	504336	Tandalala Nayak	Soybean			Maize		
Jhabua	Petlawad	2102039	Mahudipa da Kala	504338	Shergarh	Soybean			Maize		
Jhabua	Petlawad	2102039	Mahudipa da Kala	504332	Beedpada	Soybean			Maize		
Jhabua	Petlawad	2102039	Mahudipa da Kala	504334	Mahudipada Khurd	Soybean			Maize		
Jhabua	Petlawad	2102040	Barvet	504330	Badvet	Soybean					
Jhabua	Petlawad	2102040	Barvet	504381	Junwaniya	Soybean					
Jhabua	Petlawad	2102040	Barvet	504329	Amlirunda	Soybean					
Jhabua	Petlawad	2102040	Barvet	504324	Motapala	Soybean					
Jhabua	Petlawad	2102041	Jamli	504342	Junakheda	Soybean			Maize		
Jhabua	Petlawad	2102041	Jamli	504345	Hiraninamapa da	Soybean			Maize		
Jhabua	Petlawad	2102041	Jamli	504344	Ruparel Jamli	Soybean			Maize		

Jhabua	Petlawad	2102041	Jamli	504341	Jamli	Soybean			Maize		
Jhabua	Petlawad	2102041	Jamli	504343	Babaliapada	Soybean			Maize		
Jhabua	Petlawad	2102041	Jamli	504340	Amarpura	Soybean			Maize		
Jhabua	Petlawad	2102043	Matapada	504351	Khodri	Soybean			Maize		
Jhabua	Petlawad	2102043	Matapada	504353	Hanumatya	Soybean			Maize		
Jhabua	Petlawad	2102043	Matapada	504350	Suwarpada	Soybean			Maize		
Jhabua	Petlawad	2102043	Matapada	504352	Hanumangar h	Soybean			Maize		
Jhabua	Petlawad	2102043	Matapada	504348	Matapada (Suwarpada)	Soybean			Maize		
Jhabua	Petlawad	2102043	Matapada	504349	Sagadia	Soybean			Maize		
Jhabua	Petlawad	2102050	Moibageli	504224	Moibageli	Soybean			Maize		
Jhabua	Petlawad	2102051	Gopalpura	504223	Gopalpura	Soybean					
Jhabua	Petlawad	2102052	Kudwas	504357	Kudwas	Soybean			Maize		
Jhabua	Petlawad	2102052	Kudwas	504363	Soila	Soybean			Maize		
Jhabua	Petlawad	2102052	Kudwas	504360	Dhanpura	Soybean			Maize		
Jhabua	Petlawad	2102053	Bedada	504361	Bedada	Soybean			Maize		
Jhabua	Petlawad	2102053	Bedada	504358	Charanpura	Soybean			Maize		
Jhabua	Petlawad	2102054	Jhawalia	504359	Jhawalia	Soybean			Maize		
Jhabua	Petlawad	2102054	Jhawalia	504362	Ralyawan	Soybean			Maize		
Jhabua	Petlawad	2102055	Pareva	504364	Parewa	Soybean					
Jhabua	Petlawad	2102056	Mohankot	370703	Morjharia	Soybean			Maize		
Jhabua	Petlawad	2102056	Mohankot	370702	Semalkundia	Soybean			Maize		

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.